प्रकरण क्रमांक WO 523422

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश कमांक 234/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0 523422

विषय :— बिल राशि रु. 11107/— सरचार्ज सहित विलोपित करने विषयक। सचिव, ———परिवादी राधा स्वामि सत्संग ब्राह्मण खेड़ा, मक्सी रोड, देवास (म.प्र.)

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.देवास ——— उत्तरदाता आदेश

(आज दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री हेमंत सोलंकी सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी का थ्री फेज 5 एच पी क्षमता का टेरिफ श्रेणी L.V.5-4 for Irrigation विद्युत कनेक्शन क. 3365204—99—03—224382000 है, का बिल छः माह में एक बार प्राप्त होता है, जिसका समय समय पर भुगतान किया जाता है। परिवादी को एक अप्रेल 2018 को रु.3328/— को प्राप्त हुए बिल का भुगतान निर्धारित समय से पूर्व कर दिया गया था। परंतु आगामी चक्र में माह सितम्बर 2018 के बिल में राशि रु.11107/— अन्य बकाया के साथ बताते हुए बिल जारी किया गया। इस संबंध में कार्यालय से सम्पर्क करने पर, उक्त राशि को स्थगित रखते हुए करंट माह का बिल जमा कराया जाता रहा, किंतु उक्त राशि किस आधार पर निकाली गई है, यह जानकारी बार बार निवेदन करने पर भी, विभाग द्वारा नहीं दी गई। और सरचार्ज जोड़ कर अकारण बिल जारी किया जा रहा है। निवेदन है कि उक्त राशि सरचार्ज सहित समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रकरण क्रमांक WO 523422

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी—सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. सिनियर झोन, देवास को प्रेषित पत्र क. आरएसएसबी / डब्लूएव / 22 / 106 दि.24.03.2022 तथा इसके साथ में संलग्न सिंचाई हेतु फ्लेट रेट कनेक्शन बिल माह अप्रेल 2022 की रसीद रु. 1875 / — दि.12.04.2022, मासिक विद्युत बिल माह मार्च 2016, सितम्बर 2016, मार्च 2017, अक्टूबर 2017, अप्रेल 2018, सितम्बर 2018, अक्टूबर 2019, अप्रेल 2021, अक्टूबर 2021, अप्रेल 2021, अक्टूबर 2021, की छाया प्रतियां संलग्न की है।

विपक्ष का कथन :-

परिवादी का थ्री फेज 5 एच पी क्षमता का टेरिफ श्रेणी L.V .—5.4 for Irrigation विद्युत कनेक्शन क. 3365204—99—03—224382000 है, के माह सितम्बर 2018 के बिल में राशि रु. 11107 /— की मांग उपभोक्ता के विद्युत देयक में जोड़ी गई है। साफ्टवेयर बदलने के कारण उक्त उपभोक्ता का डाटा कार्पोरेट कार्यालय से मंगवाया गया । वहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार संभवतः वर्ष 2013 में सिंचाई विद्युत देयकों की 50 प्रतिशत राशि माफ कर शेष राशि 10 किस्तों में जमा करनी थी, किंतु उक्त राशि परिवादी के देयक में नहीं जोड़ी गई थी, इस कारण माह सितम्बर 2018 में एक मुश्त राशि परिवादी के बिल में जोड़ी गई है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है। वर्ष 2013 में परिवादी के देयक में कोई राशि बकाया नहीं थी। सिंचाई योजना वर्ष 2013 में आई थी। परिवादी के विद्युत देयकों की शीट संलग्न है। फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :—

परिवादी ने माह सितम्बर 2018 के बिल में अन्य बकाया राशि रु. 11107/— के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाई है।

विपक्ष ने कथन में बताया है कि विद्युत देयक शीट में वर्ष 2013 में उपभोक्ता के देयक पर कोई राशि बकाया नहीं थी।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का 5 एच पी क्षमता का सिंचाई पम्प कनेक्शन है। बिलिंग विवरण माह सितम्बर 2013 से माह मार्च 2020के अनुसार माह सितम्बर 2013 से माह मार्च 2018 तक बकाया राशि निरंक है।बिल मांग का भुगतान माह दिसंबर 2013, अप्रेल 2014, अक्टूबर 2014, अप्रेल 2015, अक्टूबर 2015, अप्रेल 2016, अक्टूबर 2016, अप्रेल 2017, अक्टूबर 2017, अप्रेल 2018, अक्टूबर 2018, अप्रेल 2019, नवंबर 2019 में कमशः 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3898, 3413, 3413, 3328, 3500, 1750, 1750 किया जाना पाया गया है।इससे यह सिद्ध होता है कि माह सितम्बर 2018 के देयक में अन्य बकाया राशि रु. 11107 / — त्रुटिपूर्ण राशि है। अतः माह सितम्बर 2018 से माह अप्रेल 2022 तक के देयकों की कुल बकाया राशि रु. 11107 / — को निरस्त किया जाना चाहिये। तथा फोरम के आदेश का पालन होने तक का अधिभार भी हटाया जाना चाहिये।

प्रकरण क्रमांक WO 523422

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :—

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02 / अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, परिवादी का 5 एच पी क्षमता का सिंचाई पम्प कनेक्शन है। बिलिंग विवरण माह सितम्बर 2013 से माह मार्च 2020 के अनुसार माह सितम्बर 2013 से माह मार्च 2018 तक बकाया राशि निरंक है।बिल मांग का भुगतान माह दिसंबर 2013, अप्रेल 2014, अक्टूबर 2014, अप्रेल 2015, अक्टूबर 2015, अप्रेल 2016, अक्टूबर 2016, अप्रेल 2017, अक्टूबर 2017, अप्रेल 2018, अक्टूबर 2018, अप्रेल 2019, नवंबर 2019 में क्रमशः 3000,

03/ म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3. 29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्डर), सदस्य

(एन.एस.मंडलोई), सदस्य (व्ही.के.गोयल) अध्यक्ष